कार्यालय परियोजना प्रशासक, माँ रतनगढ़ पी.आई.यू. मौ, जिला–भिण्ड (म.प्र.)

(e-mail: pamrpiu@gmail.com)

पत्र क्र. 829 / कार्य / 2021 मौ, भिण्ड दिनांक 23 / 12 / 2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध), भोपाल मध्यप्रदेश

विषयः– माँ रतनगढ़ परियोजना के नहर कार्य अंतर्गत ग्वालियर एवं दतिया जिले की प्रभावित हो रही 17.63 हे. वन भूमि की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः– 1 वेबपोर्टल पर अपलोड प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Canal/149734/2021
2 आपका पत्र क्रमांक / एफ–3 / 52 / 2021 / 10–11 / 6 / 4081 भोपाल, दिनांक 08.12. 2021

.... / / ....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा ली गई आपत्तियों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है।

स0क्र0	प्रस्ताव में कमिया / त्रुटियां	निराकरण
(1)	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक A-1(ix), B-2.2 एवं B-2.3 में परियोजना निर्माण में वनभूमि के अलावा कितनी राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) प्रभावित होगी बताया नही गया है। अतः उक्त बिन्दुओं मे प्रभावित होने वाली गैर वनभूमि की जानकारी दी जावें।	चूँकि नहर प्रणाली भूमिगत पाइप लाइन होने से किसी भी तरह की राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) प्रभावित नहीं हो रही है। अतः प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक A-1(ix), B-2.2 एवं B-2.3 में जानकरी शून्य(निरंक) दी गई है।
(2)	प्रस्ताव के भाग–1 बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) मे अपलोड वनमण्डल ग्वालियर की प्रस्तावित वनभूमि की KML file का देखने पर उसका अधिकांश भाग वनक्षेत्र की सीमा के बाहर प्रदर्शित हो रहा है। अतः वनमण्डल ग्वालियर की सही KML file तैयार कर अपलोड करें।	वनमण्डल ग्वालियर की प्रस्तावित वनभूमि की KML file मे आवश्यक सुधार कर सही KML file अपलोड कर दी गई है।
(3)	प्रस्ताव के भाग–1 बिन्दु क्रमांक C(iii) मे अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पूर्ण नहीं है अतः सर्वे ऑफ इंडिया की पूर्ण टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को ही चिन्हित कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।	सर्वे ऑफ इंडिया की पूर्ण टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दी गई है।
(4)	प्रस्ताव के भाग–1 बिन्दु क्रमांक D(i) में केवल तुलनात्मक विवरण पत्रक की प्रति अपलोड की है। इसके साथ औचित्य टीप अपलोड नही की गई है। अतः उक्त बिन्दु में परियोजना वनक्षेत्र में लगाने संबंधी औचित्य टीप तैयार कर उसकी प्रति भी अपलोड करें।	तुलनात्मक विवरण पत्रक के साथ परियोजना वनक्षेत्र में लगाने संबंधी औचित्य टीप तैयार कर उसकी प्रति भी अपलोड कर दी गई है।

(5)	प्रस्ताव के भाग–1 बिन्दु क्रमांक L(v) मे अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पूर्ण नहीं है अतः सर्वे ऑफ इंडिया की पूर्ण टोपोशीट पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को ही चिन्हित कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।	सर्वे ऑफ इंडिया की पूर्ण टोपोशीट पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को चिन्हित कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्त कमियों/त्रुटियों मे आवश्यक सुधार कर एवं आवश्यक्तानुसार दस्तावेज हस्ताक्षर कर अपलोड किये जाकर ऑनलाइन प्रस्ताव भाग–1 पोर्टल पर पुनः जमा किया गया है।

प्रकरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

(अनिल दीक्षित)
परियोजना प्रशासक
माँ रतनगढ़ पी.आई.यू.
मौ, जिला– भिण्ड (म.प्र.)

पृ.क्र. 830/कार्य/2021 — मौ भिण्ड, दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपि,

1. परियोजना संचालक, माँ रतनगढ़ पी.आई.यू. मौ, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अतिरिक्त परियोजना संचालक, माँ रतनगढ़ पी.आई.यू. मौ, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल दीक्षित)
परियोजना प्रशासक
माँ रतनगढ़ पी.आई.यू.
मौ, जिला– भिण्ड (म.प्र.)